केन्द्रीयविद्यालयसंगठन (मु.)/
KendriyaVidyalaya Sangathan (HQ)
18 संस्थागतक्षेत्र/18Institutional Area,
शहीदजीतसिंहमार्ग/Shaheed Jeet Singh Marg,
नईदिल्ली – 110016/New Delhi -110016
दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570
Email-pensionkvshq@gmail.com

फ॰ 110230(विविध)/2022-केविस(मु॰)/पें॰/2143 दिनांक. 10.03.2023

नोटिस

विषय: माह मार्च, 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में।

शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 20.02.2023 के पत्र सं॰ फा॰ 17-07/2022-UT.1 (INS-5) के साथ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 05.01.2023 का अर्द्धसरकारी पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमे पेंशनभोगियों की शिकायतों का निर्धारित नीति व दिशा-निर्देशों के अनुसार तुरंत निपटान करने के लिए माह मार्च 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन अदालत वीडियो कोन्फेरेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिये गए हैं।

इस संबंध में के॰वि॰सं॰ के सभी पेंशनभोगियों, जिनके PPO केविस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए हों, से अनुरोध है कि यदि इस संबंध में उनकी कोई शिकायत हो तो 15.03.2023 तक ई-मेल आईडी pensionadalatkvshq@gmail.com पर भेज सकते हैं । आवेदन में अपना नाम, पीपीओ संख्या, ईमेल आईडी एवं फोन/मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें । प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए माह मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह (preferably on 23.03.2023) में इस कार्यालय द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। दिनांक 23.03.2023 को प्रातः 10 बजे से पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए लिंक है: https://meet.google.com/spi-mcyj-bax

नोट:- जिन पेंशनभोगियों को पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर संस्वीकृत की गई है, उनसे अनुरोध है कि वे संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय में ही अपने आवेदन दिनांक 15.03.2023 तक भेजें। सभी क्षेत्रीय कार्यालय इस संबंध में पेंशन अदालत का आयोजन मार्च के तीसरे सप्ताह (preferably on or before 24.03.2023) में करेंगें।

(सत्य नारायण गुलिया)
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, (EDP) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु॰) नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि इस नोटिस को KVS Website पर जारी अपलोड करें।

10.3.23
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
Under Ministry of Education, Govt. of India
Website : https://rolucknow.kvs.gov.in/

Fit India Freedom Run 2.0
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Fit India Freedom Run 2.0
13th Aug - 2nd Oct
आज़ादी का अमृत महोत्सव

पत्रांक 26230(पेंशन अदालत)/2022-23/क्षे.का. लखनऊ/ 43958 दिनांक -13.03.2023

(ई-मेल द्वारा)

सूचना (Notice)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली के पत्र संख्या F.110230(Misc.)2022-KVS(HQ)/P&I/2144 दिनांक 10.03.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि पेंशनभोगियों की शिकायतों का, वर्तमान पेंशन नीति/ नियम /दिशा-निर्देशों की सीमा के अन्तर्गत तुरंत निपटान करने के लिए मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में देशव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन (ऑनलाइन माध्यम से) किया जाना है। **क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी।**

इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के ऐसे सभी पेंशनभोगियों, जिनके PPO के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा जारी किये गये हैं, से अनुरोध है कि यदि इस संबंध में उनकी कोई शिकायत हो तो संलग्न प्रपत्र में भरकर, आवश्यक दस्तावेजों सहित क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की ई-मेल **pensionadalatkvsrolko@gmail.com** में दिनांक **20.03.2023 अपराह्न 02.30 बजे तक** प्रेषित करें एवं यदि शिकायत केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) नई दिल्ली स्तर से संबंधित हो तो दिनांक **15.03.2023 सायं 05:30 बजे तक** प्रेषित करें।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस पेंशन अदालत के अन्तर्गत केवल उन्हीं शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा जो कि वर्तमान पेंशन नीति/ नियम /दिशा-निर्देशों आदि की सीमा (within the purview of extant Pension Policy/ Rules/ Guidelines etc.) में आती हैं।

दिनांक 22 मार्च 2023 को ऑनलाइन माध्यम से होने वाली पेंशन अदालत का लिंक संबंधित पेंशनभोगी शिकायतकर्ता की ई-मेल पर प्रेषित कर दिया जाएगा।

(देवेन्द्र कुमार द्विवेदी)
उपायुक्त

केविसं. क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

पेंशन अदालत में शिकायत प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

1	**नाम**		**सेवानिवृत्ति के समय पदनामः**	
2	**सेवानिवृत्ति के समय पदस्थ केवि. का नाम**			
3	**PPO No.**			(कृपया प्रतिलिपि संलग्न करें)
4	**ई-मेल एवं मोबाइल नं.**			
5	**पत्राचार का पता**			
6	**शिकायत का विवरण**			